<u>न्यायालय–प्रशांत कुमार, अवर न्यायाधीश प्रथम, नरकटियागंज</u>

<u>स्वत्व वाद सं0–357/2012</u>

बिन्दा प्रसाद यादव.....वादी

बनाम

योगेन्द्र यादव एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	**ORDER**	**REMARKS**
25.07.2024	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। आज अभिलेख वादी की ओर से दाखिल आवेदन अतंर्गत 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता दिनांक 15.02.2024 पर सुना। **<u>आदेश (ORDER)</u>** वादी की ओर से आवेदन दिनांक 15.02.2024 मे कहा गया है कि वादी की ओर से दाखिल आवेदन अंतर्गत आदेश 1 नियम 10(2) व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आवेदन दिनांक 11.05.2023 को श्रीमान् के द्वारा स्वीकार किया गया। आवेदन के पैरा न0–04 में वादी के द्वारा लिखा गया है कि हरेन्द्र यादव बजरिये निबंधित बयनामा दस्तावेज सं0–218 दिनांक 05.01.2022 वादग्रस्त भूमि खाता–18 खेसरा–21 रकबा–07 धुर राजेश्वर साह वल्द रामानन्द साह को बेचे है तथा पैरा सं0–08घ में गलती से राजेश्वर साह वल्द स्व0 रामानन्द साह के जगह पर राजेश्वर कुशवाला वल्द स्व0 रामानन्द कुशवाहा लिखा गया है, जो लिपिकिय भूल है। दस्तावेज सं0–218 दिनांक 11.05.2017 में केता का नाम राजेश्वर साह वल्द रामानन्द साह है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि राजेश्वर कुशवाहा वल्द रामानन्द कुशवाहा के जगह पर राजेश्वर साह वल्द स्व0 रामानन्द साह सुधार करने की अनुमति देने की कृपा की जाय तथा तदनुसार कार्यालय को वादपत्र में सुधार करने का आदेश देने की कृपा किया जाय। प्रतिवादीगण की ओर से वादी के आवेदन पर अनापत्ति दर्ज किया गया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि आदेश दिनांक 06.01.2024 के अनुसार वादी का आवेदन दिनांक 11.05.2023 स्वीकार किया गया है। अतः न्यायहित में वादी का आवेदन दिनांक	

<u>न्यायालय–प्रशांत कुमार, अवर न्यायाधीश प्रथम, नरकटियागंज</u>

<u>स्वत्व वाद सं0–357/2012</u>

बिन्दा प्रसाद यादव.....वादी

बनाम

योगेन्द्र यादव एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 25.07.2024	15.02.2024 को स्वीकार किया जाता है तथा कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि वादपत्र में राजेश्वर कुशवाहा वल्द रामानन्द कुशवाहा के जगह पर राजेश्वर साह वल्द रामानन्द साह बनावें। वाद दिनांक 09.09.2024 को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश, प्रथम नरकटियागंज	